भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2411
दिनांक 10.12.2024 को उत्तरार्थ

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जारी अनुदान

2411. श्री इमरान मसूद:
श्रीमती भारती पारधी:
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा कार्यान्वित पंचायती राज योजनाओं का ब्यौरा क्या है और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश विशेष रूप से सहारनपुर जिलें में जिले-वार कुल कितनी धनराशि आवंटित और वितरित की गई है और वर्ष 2014 से आज की तिथि तक उनके उपयोग का जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार सीधे पंचायतों को धन आवंटित करती है और यदि हां, तो उन योजनाओं के नाम क्या हैं जिनके अंतर्गत मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जिले-वार धन जारी किया गया है;

(ग) उक्त अनुदान के उपयोग और व्यय का ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान अन्य राज्यों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गई है; ओर

(ड़) जिले-वार किन योजनाओं के अंतर्गत मध्य प्रदेश को निधि जारी की गई हैं?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रोफ. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) से (ङ) पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (एलएसडीजी) और ग्राम पंचायत भवन और कंप्यूटर एवं सहायक उपकरणों जैसी अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान करने पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए निर्वाचित प्रतिनिधियों और उनके पदाधिकारियों एवं अन्य हितधारकों का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की शासन क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से पहले से ही संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना को लागू कर रहा है| इसके

अलावा, पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) द्वारा संशोधित आरजीएसए के केंद्रीय घटक अर्थात पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण (आईओपी) और ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी-ईपंचायत) को भी कार्यान्वित किया जाता है। आईओपी योजना के तहत, सेवाओं की प्रदायगी और जन कल्याण में सुधार करने संबंधी पंचायतों के श्रेष्ठ कार्य को मान्यता देने के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य-निष्पादन करने वाली पंचायतों को वित्तीय प्रोत्साहन सहित पुरस्कार दिए जाते हैं। ई-पंचायतों पर मिशन मोड परियोजना के तहत, पीआरआई के समग्र परिवर्तन के लिए उनके कामकाज में दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के लिए पंचायतों के डिजिटलीकरण की दिशा में विभिन्न ई-गवर्नेंस परियोजनाओं को वित्तपोषित किया जाता है। ये तीनों योजनाएं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर के जिले, खास कर के सहारनपुर जिले सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी जिले में सभी पंचायतों के सभी स्तरों के लिए लागू की गई हैं ।

आरजीएसए और आईओपी की योजनाओं के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कोई धनराशि आवंटित नहीं की जाती है । 2014 से लेकर अब तक आरजीएसए/संशोधित आरजीएसए योजनाओं और आईओपी योजनाओं के तहत जारी और उपयोग की गई राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार निधियों का विवरण जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य शामिल हैं, **अनुबंध** में दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले सहित किसी भी जिले को धनराशि जारी नहीं की जाती है।

एमएमपी-ईपंचायत योजना के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कोई धनराशि प्रदान नहीं की जाती है।

***

अनुबंध

दिनांक 10.12.2024 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2411 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वर्ष 2014 से अब तक पंचायती राज मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत जारी और उपयोग की गई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सहायता अनुदान ।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आरजीएसए/संशोधित आरजीएसए (राशि करोड़ रुपये में)		आईओपी* (राशि करोड़ रुपए में)	
	जारी की गई धनराशि	उपयोग की गई धनराशि	जारी की गई धनराशि	उपयोग की गई धनराशि
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8.71	8.18	1.34	
आंध्र प्रदेश	338.22	311.15	16.93	
अरुणाचल प्रदेश	354.44	323.92	2.9	
असम	429.696	403.836	10.66	
बिहार	190.06	144.74	8.01	
छत्तीसगढ़	154.14	124.36	11.55	
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	4.72	4.47	4.0007	4.07
गोवा	4.63	3.58	0	
गुजरात	34.44	19.09	12.05	
हरियाणा	57.58	57.58	8.75	
हिमाचल प्रदेश	208.085	174.725	8.07	
जम्मू एवं कश्मीर	259.83	241.57	4.49	
झारखंड	139.32	105.99	9.37	
कर्नाटक	221.26	206.16	10.92	
केरल	124.61	116.37	15.65	
लद्दाख	4.23	4.23	0.43	
लक्षद्वीप	1.65	1.65	0.4	
मध्य प्रदेश	500.93	439.96	17.78	
महाराष्ट्र	478.988	413.218	20.04	
मणिपुर	65.53	64.95	5.56	
मेघालय	23.04	18.27	0.15	
मिजोरम	93.17	81.79	2.05	
नागालैंड	40.13	29.66	0.62	
ओडिशा	143.201	134.911	22.42	
पुदुचेरी	0	0	-	-

पंजाब	120.113	101.413	11.43	
राजस्थान	129.56	112.75	11.39	
सिक्किम	48.91	42.71	5.8	
तमिलनाडु	308.36	275.69	13.57	
तेलंगाना	135.29	134.77	23.87	
त्रिपुरा	45.42	39.34	9.7	
उत्तर प्रदेश	664.566	621.796	32.76	
उत्तराखंड	252.9	243.38	10.03	
पश्चिम बंगाल	331.272	290.112	13.7	

* आईओपी योजना 2016-17 से लागू है।

***